संख्या- /2016/ /पॉच-6-16-15(उपकरण)/16

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 28 नवम्बर, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 08 जिला चिकित्सालयों में राजकीय रक्तकोषो में बी0सी0एस0यू0 की स्थापना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-महानिदे0/कैम्प/2016/740, दिनांक 07.11.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार प्रदेश के 08 जिला चिकित्सालयों में राजकीय रक्तकोषो में बी0सी0एस0यू0 की स्थापना हेतु प्रति बी0सी0एस0यू0 रू0-100.00 लाख (रूपया एक करोड़ मात्र) की दर से कुल रू0 800.00 लाख (रूपया आठ करोड़ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5, भाग-1 में क्रय नियमोंवस्थाप्रक्रिया के संबंध में दी गयी व्य/, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अद्यतन क्रय नीति विषयक शासनादेश संख्या-809-पॉच/1-2012-3(14)/04 दिनांक 14.06.12, शासनादेश संख्या-1878/पॉच-1-2012-3(14)/04, दिनांक 29.11.12 व शासनादेश संख्या-122/पॉच-1-2014-5(100)/13, दिनांक 18.02.14 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-1/उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ-साथ क्रय संबंधी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत उपकरणों का क्रय स्टोर परचेज रूल्स के अन्तर्गत सभी औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके सक्षम स्तर के आदेश प्राप्त करके किया जाए ।

(3) उपकरणों और मशीनों की वारण्टी की अवधि के लिये कोई एनुअल मेन्टीनेंन्स कॉन्ट्रेक्ट नहीं किया जायेगा। एनुअल मेन्टीनेंन्स के लिए यथा समय आवश्यकतानुसार अलग से व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थल पर आपूर्ति के समय आवश्यक कुशल मानव शक्ति उपस्थित रहे ताकि इनका अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(4) प्रश्नगत उपकरणों की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षणसमय -पना और उसके बाद इनकी समयऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्था/ हो सकेष्टपर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्प, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।

(5) प्रश्नगत उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।

(6) प्रश्नगत उपकरणों को टर्न की आधार पर क्रय किया जायेगा।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(7) क्रय प्रक्रिया की नियमित रूप् से मानीटरिंग की जाए ताकि बजट में प्राविधानित धनराशि के लैप्स होने की स्थिति पैदा न हो।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0ए0एल0, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा ।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत उपकरणों की मद चूंकि मितव्ययिता की मद है, अतः इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(12) प्रश्नगत उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/क्रयाधिकारी का होगा ।

(13) प्रश्नगत प्रश्नगत उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का या जायेगा।अनुपालन सुनिश्चित कि

(14) प्रश्नगत प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त उचित स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।

(15) प्रश्नगत उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जाएगा ।

(16) धनराशि की स्वीकृति/आहरण /टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-1173/दस-2001-10(55)/2000, दिनांक 22.04.2001 व आदेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.15 में दी गयी शर्तों/व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन किया जाय।

(17) धनराशि की स्वीकृति/आहरण में एवं व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 में दी गयी शर्तों/व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन किया जाय।

(18) प्रश्नगत उपकरणों की वास्तविक आवश्यकता एवं औचित्य का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(19) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(20) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा । यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(21) इस सबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-64-जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें-26 मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-309 /2016/ 2790 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) संबंधित जिलाधिकारी।
(5) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार ।
(6) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ ।
(8) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
(9) संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।
(10) अपर परियाजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एडस नियन्त्रण सोसायटी, गोमती नगर, लखनऊ।
(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5, उ0प्र0 शासन ।
(12) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
(13) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
(14) विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या- 309/2016/ 2790 /पाँच-6-16-15(उपकरण)/16 दिनांक: 28नवम्बर, 2016 का संलग्नक

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र.सं.	रक्तकोष का नाम	कुल व्यय
1	2	3
1	जिला चिकित्सालय, रायबरेली।	100.00
2	जिला चिकित्सालय, जौनपुर।	100.00
3	जिला चिकित्सालय, बिजनौर।	100.00
4	जिला चिकित्सालय, सोनभद्र।	100.00
5	जिला चिकित्सालय, खीरी।	100.00
6	जिला चिकित्सालय, फर्रूखाबाद।	100.00
7	जिला चिकित्सालय, ललितपुर।	100.00
8	जिला चिकित्सालय, हरदोई।	100.00
	कुल योग	800.00

(रूपया आठ करोड़ मात्र)

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- /2016/ /पॉच-6-2016-5(33)/07 टी.सी.

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 28 नवम्बर, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद कानपुर में 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण हेतु रू0-117.10 लाख की चालू अंश के रूप में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10506/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 04.11.2016 तथा शासनादेश संख्या-249/2016/1708/पॉच-6-16-5(33)/07टी.सी., दिनांक 29.09.2016 व शासनादेश संख्या-274/2016/2581/पॉच-6-16-5(33)/07टी.सी., दिनांक 03.11.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 29.09.2016 द्वारा जनपद कानपुर में 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-4406.93 लाख की पुर्न पुनरीक्षित प्रशासनिक लागत स्वीकृति की गयी, लेकिन कुल स्वीकृत लागत का 05 प्रतिशत की धनराशि को रोकते हुए पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित कर अवशेष धनराशि रू0'-117.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी। अतः शासनादेश दिनांक 03.11.16 द्वारा प्रश्नगत धनराशि रू0-117.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये, लेकिन उक्त आदेश में लेखाशीर्ष का उल्लेख न होने के कारण प्रश्नगत धनराशि आहरित नहीं की जा सकी।

2- अतएव अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के प्रस्तावानुसार उक्त शासनादेश दिनांक 03.11.16 को निरस्त करते हुए जनपद कानपुर में 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-117.10 लाख (रूपया एक करोड़ सत्रह लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू अंश के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-249/2016/1708/पॉच-6-16-5(33)/07टी.सी., दिनांक 29.09.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32-लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-72-100 शैयया युक्त चिकित्सालयों की स्थापना-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- प्रश्नगत कार्य चालू कार्य है, अतः यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत् निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

संख्या- 308 /2016/ 2412 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर नगर ।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर ।
9- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, कानपुर नगर।
10-प्रबन्ध निदेशक, सी.एण्ड डी.एस. उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर ।
11- परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस. उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
13- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
14- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
15- विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

उप सचिव।